



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 (Issued by the State Environment Impact Assessment
 Authority (SEIAA),
 MADHYA PRADESH)



Minutes of 871st SEIAA Meeting State Environment Impact Assessment Authority
meeting held from 24/02/2025 to 24/02/2025

Date: 04/03/2025

MoM ID: EC/MOM/SEIAA/612549/2/2025
Agenda ID: EC/AGENDA/SEIAA/612549/2/2025
Meeting Venue: Epco, Bhopal
Meeting Mode: Physical
Date & Time:

24/02/2025	12:36 PM	04:36 PM
------------	----------	----------

1. Opening remarks

jkT; Lrjh; i;kZoj.k lek?kkr fu/kkZj.k izkf/kdj.k ¼SEIAA½ e-iz- dh 871oh cSBd fnukad 24-02-2025 dks Jh f'ko ukjk;k flag pkSgku] v/;{k} jkT; Lrjh; i;kZoj.k lek?kkr fu/kkZj.k izkf/kdj.k dh v/;{krk esa ,Idks] i;kZoj.k ifjlj] Hkksiky esa fuEukuqlkj lnL;ksa dh mifLFkfr esa lEiUu gqbZ %& cSBd ds izkjaHk esa izHkkjh vf/kdkjh] lfpoky;] jkT; Lrjh; i;kZoj.k lek?kkr fu/kkZj.k izkf/kdj.k }kjk v/;{k ,oa lnL;ksa dk Lokxr fd;k x;kA

2. Confirmation of the minutes of previous meeting

NA

3. Details of proposals considered by the committee

Day 1 -24/02/2025

3.1. Agenda Item No 1:

3.1.1. Details of the proposal

Mugdara Dolomite mine (2.52ha) by M P STATE MINING CORPORATION located at MANDLA, MADHYA PRADESH	
Proposal For	Fresh EC

Proposal No	File No	Submission Date	Activity (Schedule Item)
SIA/MP/MIN/470233/2024	10899/2023	26/04/2024	Mining of minerals (1(a))

3.1.2. Deliberations by the committee in previous meetings

<p>Date of SEAC 1 :28/05/2024</p> <p>Deliberations of SEAC 1 :</p> <p>The presentation and other document placed before the committee and was found satisfactory and acceptable to the committee. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for <u>grant of Prior EC for Excavation of Dolomite Deposit (ROM production 135873 Ton per annum. (Dolomite – 104357 TPA, Mine waste – 11594 TPA & Lateritic Soil – 19222 TPA)) (Area: 2.52 ha.) (Khasra No.Khasra No. 830, Village- Mugdara, Tehsil- Nainpur, Distt.- Mandla (MP))</u> of M/s MP State Mining Corporation Bhopal subject</p>

3.1.3. Deliberations by the SEIAA in current meetings

--

3.1.4. Recommendation of SEIAA

Approved

3.1.5. Details of Environment Conditions

3.1.5.1. Specific

Annexure A	
	<p>(A) PRE-MINING PHASE</p> <ol style="list-style-type: none"> The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given coordinates by pillars. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required. PP will also carry out fencing all around the lease area. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.

7. Haul road shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca road and shall be constructed prior to operation of mine.
8. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
9. Reject stone shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

(B) MINING OPERATIONAL PHASE

10. Muffle with NONEL system for Blasting shall be adopted for proposed mining and no secondary blasting shall be done. Rock breaker shall be used wherever required
11. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
12. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be preferred in comparison of solid cartridge.
13. No explosive will be stored at the mine site.
14. No dump shall be stacked outside the lease area.
15. Mechanized sprinklers shall be provided in mine.
16. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection.
17. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 2040 trees shall be planted on barrier zone, backfilled area, and along the road also.

Proposed Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1 st and 2 nd Year	In barrier zone (4000sqm)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	800

1st and 2nd Year	Non Mining zone (Set Back areof 0.2 hact)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	200
3rd year to CP	Backfilled area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	1040
		Total	2040
1st year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1000

18. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
19. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
20. The OB shall be reutilized for maintenance of road and for back filling . PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
21. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. Apart from existing drain and settling tank , four more drain is proposed having dimension of 191X 1.0 X 1.0, 180X 1.0 X 1.0, and one settling tank having size of 330Sqm x 5m depth are proposed
22. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
23. For dust suppression mechanized sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
24. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

Items	At present	At the end of lease period
Total area excavated	1.30 ha	1.9725 ha
Area fully mined out	-	1.9725 ha

Area under dumps	0.133ha	-
Area fully reclaimed	-	0.52 ha
Area under Road	0.05ha	-
Green belt	Nil	0.40ha
Area rehabilitated Afforestation , agri use, hutment	-	0.52 ha
Area rehabilitated by water Harvesting	-	1.25 ha

25. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social upliftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
26. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
27. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
28. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
29. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT

	Total Cost (EMP + plantation + Monitoring)	
Particular	Amount (Lakh) per annum - Capital	Amount (Lakh) per annum - Recurring
Dust Suppression through tanker over 70m road * 6.0m (30 Rs/km inclusive diesel exp, driver exp and maintenance) Approx running per day km 6.72@300 day (over road) = 2016km	-	0.61

Sub Total	-	0.61
Maintenance of Plantation 1840 (lease area) @ Rs 45/- per plant	-	0.83
Plantation (Capital cost) within lease area 1840no @140/-	2.58	-
Distribution of plantation at village 1000@50	0.50	-
Sub Total	3.08	0.83
Roads repair and maintenance (0.100km X 6.0mW@2.0 lakh per Km)	-	0.20
Sub Total	-	0.20
Personal Protective Equipments (Mask, Gloves, Goggles) for 31labours@1500	-	0.47
Half yearly Medical Checkup facility, first aid and other welfare activities for 31labours@1000	-	0.31
Fire fighting arrangement 6kg fire extinguisher @2no @ 2000/-, Caution board,	0.04	0.01
Sub Total	0.04	0.79
MSW Waste Management 04 no. dusts bin capacity @2kg each @1000.00	0.04	0.10
Sub Total	0.04	0.10
Environmental Monitoring cost	6.00	3.98
Sub Total	6.00	3.98
PUC Certification of vehicles 2@500 per vehicles	-	0.01
Sub Total	-	0.01

Grand Total**9.16****6.52**

As per office memorandum vide no 22-65/2017/IA-III dated 30.09.2020, no financial budget under CER is being proposed. The commitment to address the concern raised during the public hearing issues with physical target shall be complied as below :

PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY

SN	Plan	Area of Activity	Budgetary provisions (Rs in lacs)		
			1 st year	2 nd year	3 rd year
1	Fund for development of Eco Vikas Samiti	Kanha National Park	2.50		
2	Infrastructure development at School	Village- Mugdhara	-	2.50	-

32. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

33. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

vuq'kalk&izLrqrhdj.k ,oa leh{kk ds vk/kkj ij mijksDr fof'k''V 'krksZ ds lkFk ifj;kstuk dks Ik;kZoj.k Lohd`fr tkjh djus dh vuq'kalk dh tkrh gSA


3.2. Agenda Item No 2:**3.2.1. Details of the proposal**

PM MITRA PARK DHAR by M P INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED located at DHAR,MADHYA PRADESH			
Proposal For		Fresh EC	
Proposal No	File No	Submission Date	Activity (Schedule Item)

SIA/MP/INFRA1/5 19828/2025	11156/ 2024	23/01/2025	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (7(c))
-------------------------------	----------------	------------	--

3.2.2. Deliberations by the committee in previous meetings

Date of SEAC 1 :10/02/2025



Deliberations of SEAC 1 :

After deliberations and the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence **the case is recommended for grant of Prior Environment Clearance for PM Mitra Park in an area of 497.06 ha. MP Industrial Development Corporation (MPIDC) proposes to develop a Mega Integrated Textile region & apparel park at Bhainsola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) , with MoEF&CC Standard and following specific conditions:**


1. The green belt is proposed to be developed within the project area around periphery and lakes, along the network of internal roads and approach road. Currently the park has been proposed with 11.14% Green Area. All member industries have to maintain green area of 33% individually. Total :91.6+55.35 = 147 ha. Hence, Total Green Area = 29.57%

Period	Location	Tree Species	No of saplings
1st Year	Plantation along the periphery of project site, internal roads and approach road	Local indigenous tree species as listed selected for plantation	50000
2nd Year			50000
3rd Year			37500
Total			137500


2. Approximately 1,37,500 additional trees will be planted in an area of 12 , The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
3. The proposed EMP cost is Rs. 22,466.00 Lakhs lakhs and 18853.00 lakhs/year as recurring cost for the project .
4. Under CER activity, capital cost is Rs. 663.0 lakhs is proposed for following activities.

Sr. No	Area Of concern	Activity Proposed	Amount (Lakh)
1	Water supply	Provision	115

		<p>g w a t e r s u p p l y & S a n i t a t i o n f a c i l i t i e s t o g o v e r n m e n t s c h o l i n n e a r b y v i l l a g e</p>	
2	Health	P r o v i	80




		<p>ding Health care equipment & provision of Ambulance to public health centre in near b</p>	
--	--	--	--



		y v i l l a g e	
3	Awareness & training Programmes	E d u c a t i o n & s k i l l d e v e l o p m e n t	80
4	Socio economic Development	U p g r a d a t i o n o f l o c a l I n f r a s t r u c t u r e l i k	120

		<p>e te m pl e s, s c h o o l, c o m m u n i t y h a l, P l a y g r o u n d f o r n e a r b y v i l l a g e s</p>	
5	Plantation	A v e n u e pl	70



		antation in nearby villages	
6	Provision of Basic Amenities to nearby school	Computers, Projectors, Library	48
7	Water conservation	Creating water storage	150

		structure in villages, Upgradation of irrigation pipeline	
	Total cost		663

STANDARD ENVIRONMENT CLEARANCE CONDITIONS FOR THE PROJECTS RELATED TO INDUSTRIAL ESTATES/PARKS/COMPLEXES/AREAS.

I. Statutory Compliance:

- i. This clearance is subject to final order of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Goa Foundation Vs Union of India in Writ Petition (Civil) No 460 of 2004 as may be applicable to this project
- ii. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.
- iii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

- iv. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department, the implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (Incase of the presence of schedule-1 species in the study area)
- v. The project proponent shall obtain Consent to Establish Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned. State pollution Control Board Committee
- vi. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project
- vii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- viii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department. Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable by project proponents from the respective competent authorities.
- ix. This environmental clearance is only for the said Industrial Area. Any other activity within the Industrial Area would require separate environmental clearance, as applicable under EIA Notification, 2006 as amended from time to time. For all the individual units, environmental clearances, as applicable, shall be obtained from the respective regulatory authorities.
- x. The buildings shall have adequate distance (as per local building bye laws) between them to allow movement of fresh air and passage of natural light, air and ventilation in accordance with guidelines of local authorities

II. Air quality monitoring and preservation

- i. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM10 and PM25 in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the Industrial area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120 each). covering upwind and downwind directions.
- ii. The D.G. sets to be used during development/ construction phase shall be in conformity to Environment (Protection) Rules prescribed for air and noise emission standards. Storage of diesel shall be made underground and necessary approvals/permissions from Chief control of explosives to be obtained.
- iii. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking, loading and unloading shall be fully internalized and no public space shall be utilized.

iv. Vehicles hired for bringing construction material to the site should have a Pollution Under Control (PUC) certificate and shall conform to applicable air and noise emission standards and shall be operated only during non-peak hours.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The project proponent shall install effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986.

ii. Construction of storm water drains for collection, storage and its re-use as per guidelines of Central Ground Water Authority (CGWA).

iii. The project proponent shall report to the State Pollution Control Board about the compliance of the prescribed standards for all discharges from the Industrial Area into the sea. Project specific

iv. Fixtures for showers, toilet flushing and drinking shall be of low flow either by use of aerators or pressure reducing devices or sensor based control.

v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured/recorded to ensure the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with six monthly monitoring reports.

vi. Water demand during development/construction shall be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred. Project specific

vii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers/sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL. accredited laboratories.

viii. The project proponent shall make efforts to minimise water consumption in the industrial complex by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

ix. Member industries shall treat the effluent to meet the prescribed CETP inlet norms.

x. The member units shall provide RCC tanks for storage of effluent for monitoring the characteristics of effluent before taking into the Common Effluent Treatment Plant (CETP) for further treatment.

xi. Proper flow meters along with online monitoring facilities shall be provided to monitor the effluent quality and quantity sent from member industries to CETP and from CETP to the final disposal/re-use on a continuous basis.

xii. Weep holes in the compound walls shall be provided to ensure natural drainage of rain water in the catchment area during the monsoon period.

xiii. To achieve the Zero Liquid Discharge, waste water generated from different industrial operations shall be properly collected, treated to the prescribed standards and then recycled or reused for the identified uses. - Project specific

xiv. The project should not amend or alter the pathways of the natural streams or creeks/nallah flowing.

xv. Rain water harvesting for roof run-off and surface run-off, as plan submitted shall be

implemented. Before recharging the surface run off, pre-treatment must be done to remove suspended matter, oil and grease. The bore well for rainwater recharging shall be kept at least 4 m above the highest ground water table.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time

V. Energy Conservation measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly;
- ii. Provide LED lights in their offices and residential areas

VI. Waste management

- i. Disposal of muck during development/construction phase should not create any adverse effect on the neighbouring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority. The ground water quality of the adjacent to dumping area should be monitored and report should be submitted to MoEF&CC and its Regional Office concerned.
- ii. Fly ash bricks should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016
- iii. All hazardous waste generated during development/ construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board.
- iv. Used LEDs shall be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination. Use of solar panels may be done to the extent possible. Energy conservation measures should be as per Bureau of Energy Efficiency (BEE) standards.
- v. Air pollution and the solid waste management aspects need to be properly addressed ensuring compliance of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
- vi. The solid waste generated shall be properly collected and segregated in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016. Wet garbage shall be composted and dry/inert solid waste should be disposed off to the approved sites for land filling after recovering recyclable material. No municipal waste shall be disposed off outside the premises

VII. Green Belt

- i. The green belt/plantation of to a width of 15 m should be provided all along the periphery of industrial area with native species. The individual units should keep 33% of allotted area as green area with native place. The time bound action plan for green belt/plantation be submitted to the MoEF&CC and concerned Regional Office within three months of issue of this letter.
- ii. Cutting of plants/trees are to be totally avoided by the construction labours. The contractor has to maintain log book for the purchase and distribution of fuel wood.
- iii. Management Plan for biodiversity conservation along with the implementation schedule should be prepared with the help of concerned government institution/state forest department, and same to be submitted to MoEF&CC and its Regional Office before commencement of work. Sufficient fund provision to be made to implement the same.
- iv. All the topsoil excavated during development/construction activities should be stored for use in horticulture/landscape development within the project site. Report should be submitted to MoEF&CC and its Regional Office concerned.
- v. For monitoring of land use pattern, a time series of landuse maps, based on satellite imagery (on a scale of 1: 5000) of the core zone and buffer zone, shall be prepared once in 3 years (for any one particular season which is consistent in the time series), and the report submitted to MOEF and its concerned Regional office

VIII. Public hearing and Human health issues

- i. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in form of temporary structures to be removed after the completion of the project. the
- ii. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. EMP&Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-1A.III dated 1 May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms /conditions. The company shall have defined system of reporting infringements /deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level,

with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) regarding plants located in the industrial estates/park shall be implemented.
- vii. Special purpose vehicle shall be established for implementation, monitoring and compliance of the environmental safeguards.

X. Miscellaneous

- i. Construction material has to be brought from approved/authorized places.
- ii. Internal Road widths within the industrial area shall be minimum 18 m ROW.
- iii. Parking space to accommodate trucks, cars, two wheelers and bicycles shall be provided as per the norms.
- iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

- ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
- x. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project
- xi. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- xii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- xiii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- xiv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xv. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xvi. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xvii. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data/information/monitoring reports.
- xviii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xix. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred. within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

VIRONMENT CLEARANCE CONDITIONS FOR CETP 7(h)

I. Air quality monitoring and preservation

- i. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Diesel generating sets shall be installed, in the downwind directions.

ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.

II. Water quality monitoring and preservation

iii. The project proponent shall install 24x7 continuous effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 as amended from time to time and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iv. Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement as provided in the project details. Prior permission from competent authority shall be obtained for use of fresh water.

v. There shall be flow meters at inlet and outlet of CETP to monitor the flow, Suitable meters shall be provided to measure the quantity of effluent received, quantity of effluent recycled/reused and discharged.

vi. The units and the CETP will maintain daily log book of the quantity and quality of discharge from the units, quantity of inflow into the CETP, details of the treatment at each stage of the CETP including the raw materials used, quantity of the treated water proposed to be recycled, reused within the Industrial park/units, quantity of the treated effluent discharged. All the above information shall be provided on- line of the web site exclusively prepared for the purpose by the CETP owner. The website shall be accessible by the public. The financial and energy details of the CETP will also be provided along with details of the workers of the CETP.

vii. The CETP operator will maintain an annual register of member units which will contain the details of products with installed capacities and quality and quantity of effluents accepted for discharge. This will form a part of the initial and renewal applications for consent to operate to be made before the State Pollution Control Board.

viii. No changes in installed capacity, quality or quantity of effluents as agreed upon in the initial MOU between the operator and the member units, addition of any new member units shall be carried without prior approval of the ministry

ix. The Unit shall inform the State Pollution Control Board at least a week prior to undertaking maintenance activities in the recycle system and store/dispose treated effluents under their advice in the matter.

x. The unit shall also immediately inform the Pollution Control Board of any breakdown in the recycling system, store the effluents in the interim period and dispose effluents only as advised by the Pollution Control Board.

xi. The MoU between CETP and member units shall indicate the maximum quantity of effluent to be sent to the CETP along with the quality.

xii. The unit shall maintain a robust system of conveyance for primary treated effluents from the member units and constantly monitor the influent quality to the CETP. The Management of the CETP and the individual member shall be jointly and

severally responsible for conveyance and pre-treatment of effluents. Only those units will be authorized to send their effluents to the CETP which have a valid consent of the Pollution Control Board and which meet the primary treated standards as prescribed. The CETP operator shall with the consent of the State Pollution Control Board retain the powers to delink the defaulter unit from entering the conveyance system.

- xiii. The effluent from member units shall be transported through pipeline. In case the effluent is transported thorough road, it shall be transported through CETP tankers only duly maintaining proper manifest system. The vehicles shall be fitted with proper GPS system.
- xiv. Before accepting any effluent from member units, the same shall be as permitted by the SPCB in the consent order. No effluent from any unit shall be accepted without consent from SPCB under the Water Act, 1974 as amended.
- xv. Treated water shall be disposed on land for irrigation. An irrigation management plan shall be drawn up in consultation with and to the satisfaction of the State Pollution Control Board.
- xvi. The Project proponents will build operate and maintain the collection and conveyance system to transport effluents from the industrial units in consultation with and to the satisfaction of the State Pollution Control Board and ensure that the industrial units meet the primary effluent standards prescribed by the State Pollution Control Board.
- xvii. The State Pollution Control Board will also evaluate the treatment efficiency of the Effluent Treatment Plant (ETP) and its capability of meeting the prescribed standards. The final scheme of treatment would be such as is approved by the Pollution Control Board in the Consent to Establish.
- xviii. The project proponents will create an institutional arrangement for the involvement of individual members in the management of the CETP.

xx. Waste Management

- xix. ETP sludge generated from CETP facility shall be handled and disposed to nearby authorized TSDF site as per Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016.
- xx. Non Hazardous solid wastes and sludge arising out of the operation of the CEIP shall be adequately disposed as per the Consent to be availed from the State Pollution Control Board. Non Hazardous solid wastes and sludge shall not be mixed with Hazardous wastes.
- xxi. The CEIP shall have adequate power back up facility, to meet the energy requirement in case of power failure from the grid.
- xxii. The site for aerobic composting shall be selected and developed in consultation with and to the satisfaction of the State Pollution Control Board. Odour and insect nuisance shall be adequately controlled.
- xxiii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

xxiv. The solid wastes shall be segregated, managed and disposed as per the norms of the Solid Waste Management Rules, 2016.

3.2.3. Deliberations by the SEIAA in current meetings

izkf/kdj.k }kjk foLr`r ppkZ mijkar fu.kZ; fy;k x;k fd mijksDr fcUnq Ø- 1 ls 10 dh tkudkjh ifjos'k iksVZy ij vkWuykbZu izLrqr djus ds mijkar izdj.k ij fopkj fd;k tk;sxkA

3.2.4. Recommendation of SEIAA

Deferred for ADS

4. Any Other Item(s)

N/A

5. List of Attendees

Sr. No.	Name	Designation	Email ID	Remarks
1	Shri Shiv Narayan Singh Chauhan	Chairman, SEIAA	sns*****@yahoo.co.in	
2	Smt R Umamaheswari	Member Secretary, SEIAA	ms.*****@gmail.com	
3	Dr Sunanda Singh Raghunashi	SEIAA Member	drs*****@gmail.com	

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) म.प्र. की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।


बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11156 /2023	7(c) & 7 (f)	धार	PM Mitra Park and mega integrated textile region & apparel park	पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
2.	10899/2023	1(a)	मंडला	डोलोमाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये
3.	10770/2023	1(a)	बैतूल	पत्थर एवं मुरुम खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये
4.	11095/2023	1(a)	उज्जैन	मुरुम खदान	ToR में संशोधन	जारी किया जाये
5.	9795/2022	1(a)	उमरिया	लैटेराईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये
6.	10736/2023	1(a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये
7.	9973/2023	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 का निर्णय यथावत
8.	P2/713/2024	1(a)	मन्दसौर	पत्थर एवं एम - सैण्ड खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये
9.	P2/484/2024	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं एम - सैण्ड खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये
10.	8275/2021	1(a)	छतरपुर	ग्रेनाइट खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11.	10917/2023	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	SEIAA की 834वी बैठक दिनांक 28.02.2024 में कोई त्रुटि नहीं हुई है।
12.	P2/72/2024	1(a)	ग्वालियर	फर्शी पत्थर	ToR में संशोधन	जारी किया जाये
13.	10984/2023	1(a)	शिवपुरी	पत्थर व मुरुम खदान	ToR में संशोधन	जारी किया जाये
14.	11175/2024	1(a)	सतना	बाक्साईट एवं लेट्राईट खदान	ToR में संशोधन	जारी किया जाये
15.	P2/627/24	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये
16.	10079/2023	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	जारी किया जाये
17.	P2/593/24	1(a)	शयोपुर	मिट्टी खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये
18.	10752/2023	1(a)	डिंडोरी	पत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
19.	9952/2023	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	जारी किया जाये

1. **Case No 11156 /2023** Shri S.S. Thenua, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for PM Mitra Park in an area of 497.06 ha. MP Industrial Development Corporation (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park at Bhainsola, TehsilBadnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) [On-line proposal no. 519828], For EIA

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 769वी बैठक दिनांक 10.02.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना का स्वीकृति आदेश/पत्र की प्रति परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अंतरराज्यीय सीमा की दूरी के संबंध में लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 20.12.2023 में आवेदन किया गया, परंतु लोक निर्माण विभाग से अंतरराज्यीय सीमा की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः लोक निर्माण विभाग से अंतरराज्यीय सीमा की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. सदस्य सचिव, SEIAA द्वारा बताया गया कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के अनुसार अंतरराज्यीय सीमा की दूरी 34 किलोमीटर परिलक्षित है। यद्यपि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतरराज्यीय सीमा की दूरी के संबंध में स्वःअभिप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर नेशनल पार्क, अभ्यारण्य एवं वनक्षेत्र की दूरी के संबंध में वन विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 20.12.2023 में आवेदन किया गया, परंतु वन विभाग से नेशनल पार्क, अभ्यारण्य एवं वनक्षेत्र की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः वन विभाग से नेशनल पार्क, अभ्यारण्य एवं वनक्षेत्र की दूरी का अभिप्रमाणीकरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
5. परियोजना स्थल के नजदीक माही नदी स्थित है अतः नदी के दोनो ओर बाढ़ क्षेत्र जोन की दूरी के संबंध में जल संसाधन विभाग से अभिप्रमाणीकरण कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
6. इसके साथ ही परियोजना स्थल पर स्थित आमपारा डेम एवं अन्य जलीय निकाय के संरक्षण हेतु किये उपायों तथा वृक्षारोपण की प्रजाति व रोपण तकनीक की विस्तृत जानकारी एवं योजना परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ToR compliance में SEIAA द्वारा जारी ToR दिनांक 01.04.2024 में बिन्दु क्रमांक 1 से 10 की शर्तों का ईआईए प्रतिवेदन में किये गये समावेश को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाटर सप्लाई की अनुमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।
9. निजी भूमि स्वामियों की सहमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।
10. प्रस्तावित CETP का री-लोकेशन एवं तकनीक प्लान की विस्तृत जानकारी के साथ परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 10 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

2. **Case No. 10899/2023: Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mine in an area of 2.52 ha for production capacity of Dolomite - 104357, Mine Waste-11594, Soil-19222 TPA at Khasra No. 830 at Village - Mugdara, Tehsil - Nainpur, District -Mandla (MP) by Shri Ashutosh Temle, General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (MP) - 462011. (SIA/MP/MIN/470233/2024)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 की विशिष्ट शर्तों सहित


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 26.10.1996 के आधार पर द मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा दिनांक 06.02.2020 को निष्पादित पूरक अनुबंध के अनुसार लीज अवधि दिनांक 06.12.2046 तक है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 06.12.2046 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) वनमंडलाधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमंडल, मण्डल के पत्र दिनांक 26.05.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वनभूमि कक्ष क्रमांक RF - 702 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले वन क्षेत्र के 250 मीटर की परिधि में आने के कारण संभागीय आयुक्त, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व पक्की सड़क, नदी, सेतु एवं मानव बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित कर प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के दक्षिण में कच्ची सड़क के दोनों ओर खदान से पक्की सड़क तक वृक्षारोपण खनन संक्रिया प्रारंभ होने के प्रथम वर्ष में किया जाए एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाए जाए।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (viii) खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों का संरक्षण किया जाए एवं उन्हे ट्री – गार्ड से संरक्षित किया जाए।
(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


3. प्रकरण क्र. 10770/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विकास बत्रा आत्मज श्री रमेश बत्रा, निवासी- इमली मोहल्ला, घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरुम 4592 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.78 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 350/2, 350/3/2, ग्राम धाड़गांव, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 03 पर प्रकरण क्रमांक 10770/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "c" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 10770/2023 विचारण में लिया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 827वी बैठक दिनांक 24.01.2024 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 12.02.2024 को EC जारी की गई। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री विकास बत्रा द्वारा दिनांक 29.06.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि 'Environmental Clearance is 350/2 & 352/3/2 but the correct Khasra number of the mine lease area is 350/2 & 30/3/2' प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 350/2 एवं 350/3/2 के लिये आवेदन किया है। कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक मंजूरी दिनांक 28.07.2023 में भी खसरा नम्बर 350/2, 350/3/2 का उल्लेख है। प्रकरण के साथ संलग्न किये गये खसरा पंचशाला वर्ष 2023-24 में भी खसरा नम्बर 350/2, 350/3/2 अंकित है। प्रकरण में संलग्न अनुमोदित खनन योजना में भी खसरा क्रमांक 350/2, 350/3/2 ही अंकित है, किन्तु SEIAA की 827वी बैठक दिनांक 24.01.2024 में खसरा क्रमांक 350/2 एवं 350/3/2 के स्थान पर खसरा क्रमांक 350/2 एवं 352/3/2 अंकित हो गया है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 350/2, 350/3/2 के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से भी खसरा क्रमांक 350/2, 350/3/2 की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खसरा क्रमांक 350/2, 352/3/2 के स्थान पर खसरा क्रमांक 350/2, 350/3/2 सुधारा जावे। कार्यालय द्वारा दिनांक 24.01.2024 को की गई लिपिकीय त्रुटि आज दिनांक 24.02.2025 को सुधारी गई है। प्राधिकरण के कार्यालय की त्रुटि के कारण परियोजना प्रस्तावक 01 वर्ष तक परेशान रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, भविष्य के लिये ध्यान रखा जावे।


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. प्रकरण क्र. 11095/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील यादव आत्मज श्री सुरेश चंद्र यादव निवासी माधोपुर रेलवे स्टेशन रोड, रूनिजा, तहसिल बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 666, ग्राम - बरडिया, तहसिल बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 4 पर प्रकरण क्रमांक 11095/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 11095/2023 विचारण में लिया गया।


आज दिनांक 24.02.2025 को SEIAA द्वारा SEIAA की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण क्रमांक 11095/2023 में पत्थर खदान के लिये ToR जारी किये जाने का निर्णय SEIAA द्वारा लिया गया था। परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील यादव ने दिनांक 28.06.2024 को ई-मेल के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि SEIAA ने अपने पत्र क्रमांक 965/SEIAA/2024 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा जो ToR जारी किया गया है उसमें मिनरल स्टोन अंकित है जबकि उसके द्वारा मिनरल मुरुम के लिये आवेदन दिया गया था। इसलिये ToR में सुधार कर मिनरल स्टोन के स्थान पर मिनरल मुरुम की जावे। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि SEAC ने अपनी 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में मुरुम के लिये ToR जारी करने की अनुशंसा की थी। ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग ऑफ मुरुम के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। संचालक प्रशासन एवं खनिकर्म ने भी अपने पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 9920-27 भोपाल दिनांक 03.08.2023 के आदेश में भी मुरुम खनिज उत्खनिपट्टा का उल्लेख है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राधिकरण स्तर पर त्रुटि हुई है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त त्रुटि को सुधारकर पत्थर खदान के स्थान पर मुरुम खदान अंकित की जावे एवं त्रुटि के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हांकित कर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे।

5. प्रकरण क्र. 9795/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पी. के. मित्तल, निवासी 11-12, दून मार्केट, जबलपुर रोड बरगवां जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लैटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,34,240 टन प्रतिवर्ष रकबा 10.415 हेक्टेयर, खसरा 197/1 ग, 197/2, 198/1, 199, 225, 226, 227/1 क, 227/1ख, 228/2, 229, 231, 234/2, 237/2 ग्राम चिलहरी, तहसिल मानापुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 5 पर प्रकरण क्रमांक 9795/2022 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 9795/2022 विचारण में लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि Aseries Envirotech India Pvt.Ltd. के द्वारा दिनांक 26.06.2024 को श्री महालक्ष्मी माईन्स एण्ड मिनरल्स की ओर से ईमेल किया गया कि "lease validity of the mine is 30 years but in the EC letter it is mentioned 10 years. It is requested that you kindly issue a corrigendum letter regarding correct lease validity i.e. 30 year." प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर यह भी पाया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भी लीज की अवधि 30 वर्ष की बताई गई थी। संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. ने भी अपने आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 1369-70 दिनांक 01.02.2022 में भी खनिपट्टा हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिये सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। इससे स्पष्ट है कि लीज की अवधि 30 वर्ष है। SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उल्लेख है कि "संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रं. 1369-70 दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 31.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी" पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 21.06.2024 में भी उल्लेख है कि "संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रं. 1369-70 दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 31.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी "

चूंकि संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. ने भी अपने आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 1369-70 दिनांक 01.02.2022 द्वारा खनिपट्टा हेतु 30 वर्ष के लिये सैद्धान्तिक सहमति दी गई है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भी 30 वर्ष के लिये किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि SEIAA में कार्यालय स्तर पर लिपिकीय त्रुटि हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जावे एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार लीज की अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

6. प्रकरण क्र. 10736/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अलकेश बाकलिया आत्मज श्री छत्तरसिंह बाकलिया, निवासी- रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 26,200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.40 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 43, 44, 45 ग्राम भीमफलिया, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 6 पर प्रकरण क्रमांक 10736/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 10736/2023 विचारण में लिया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 863-ए वी बैठक दिनांक 10.06.2024 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 25.06.

(आर. उमेशहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2024 को EC जारी की गई। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री अलकेश बाकलिया द्वारा दिनांक 26.06.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि "Khasra no. 55 is mistakenly printed in EC letter the correct Khasra no. is 45 instead of 55. The correct khasra no. for the above project is 43,44,45" प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 43,44,45 के लिये आवेदन किया है। कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक मंजूरी दिनांक 24.08.2023 में भी खसरा नम्बर 43,44,45 का उल्लेख है। प्रकरण के साथ संलग्न किये गये खसरा पंचशाला वर्ष 2022-23 में भी खसरा नम्बर 43,44,45 अंकित है। प्रकरण में SEAC के 704वी बैठक दिनांक 19.12.2023 के कार्यवाही विवरण में भी खसरा क्रमांक 43, 44, 45 ही अंकित है, किन्तु SEIAA की 863-ए वी बैठक दिनांक 10.06.2024 में खसरा क्रमांक 43, 44, 45 के स्थान पर खसरा क्रमांक 43, 44, 55 अंकित हो गया है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 43,44,45 के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से भी खसरा क्रमांक 43,44,45 की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खसरा क्रमांक 43, 44, 55 के स्थान पर खसरा क्रमांक 43, 44, 45 सुधारा जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

7. प्रकरण क्र. 9973/2023 परियोजना प्रस्तावक, श्रीमती वैशाली सिंह पत्नी श्री दिलीप सिंह निवासी ग्राम नौगाई, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 55,860 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2. 40 हेक्टेयर खसरा 20 ग्राम मौहरिया तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 7 पर प्रकरण क्रमांक 9973/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 9973/2023 विचारण में लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25.06.2024 को ईमेल किया गया कि "Naugai stone quarry of district singrauli dated 23-06-2024 in which the validity of the EC was mentioned on the basis of validity of the lease sanctioned letter as from 11.06.2019 to 10.06.2029 but the actual validity of our mine lease is from 12.01.2021 to 11.01.2031 as per the lease agreement" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर यह भी पाया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 8127-28 दिनांक 11.06.2019 में लीज की अवधि 10 वर्ष की मंजूरी दी गई है। अर्थात् लीज की अवधि दिनांक 11.06.2019 से लेकर 10.06.2029 तक की है, किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुबंध में लीज की अवधि दिनांक 11.01.2031 दर्शायी गई है, किन्तु प्रश्नाधीन प्रकरण में चूंकि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 8127-28 दिनांक 11.06.2019 में 10 वर्ष के लिये लीज की सैद्धान्तिक सहमति दी गई है। प्राधिकरण द्वारा भी अपनी 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में सैद्धान्तिक सहमति को दृष्टिगत करते हुए निर्णय लिया गया है। अब पूर्व में लिये गये निर्णय को लिपिकीय त्रुटि निरूपित करते हुए पलटने का कोई औचित्य नहीं है। SEIAA द्वारा पूर्ण

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

विचारोपरांत पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं हुई है। अतः SEIAA द्वारा अपनी 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।

8. प्रकरण क्र. P2/713/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चारभुजा इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, निवासी- सीतामऊ फाटक, मन्दसौर जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम-सैण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर - 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं एम-सैण्ड - 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 514/1/1 ग्राम बिलांत्री, तहसील व जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 8 पर प्रकरण क्रमांक पी-2/713/2024 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक पी-2/713/2024 विचारण में लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25.06.2024 को ईमेल किया गया कि "Principal sanctioning permission is given for 5 years as per the letter by Collector office Khanij Shakha Mandsaur vide letter No. 75 dated 18.01.2024 which is a typographical error and in actuality the principle sanctioning of the lease is for 10 years" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर यह भी पाया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भी लीज की अवधि 10 वर्ष की बताई गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) म.प्र. ने भी अपने पत्र क्रमांक 75/खनिज/2024 दिनांक 18.01.2024 में भी खनिपट्टा हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिये सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। इससे स्पष्ट है कि लीज की अवधि 10 वर्ष है। SEIAA की 859वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उल्लेख है कि "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर का पत्र क्रं. 75 दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से 05 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से दिनांक 17.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी" पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.06.2024 में भी उल्लेख है कि "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर का पत्र क्रं. 75 दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से 05 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से दिनांक 17.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी"


चूंकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर ने भी अपने पत्र क्रमांक 75/खनिज/2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा खनिपट्टा हेतु 10 वर्ष के लिये सैद्धान्तिक सहमति दी गई है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भी 10 वर्ष के लिये किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि SEIAA में कार्यालय स्तर पर लिपिकीय त्रुटि हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जावे एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार लीज की अवधि 05 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।



(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


9. प्रकरण क्र. P-2/484/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स विकास इन्फ्राटेक, पार्टनर, श्री मानव सुराना, निवासी- पलवई, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम – सैण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर-5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैण्ड 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.61 हेक्टेयर, खसरा 158/6/2, ग्राम पलवई, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 9 पर प्रकरण क्रमांक पी-2/484/2024 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक पी-2/484/2024 विचारण में लिया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 24.06.2024 को EC जारी की गई। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री मानव सुराना द्वारा दिनांक 25.06.2024 को ई-मेल प्रस्तुत किया गया कि "Company in the second page is mentioned as 'विकास इन्फ्रा in place of विकास इन्फ्राटेक and village is written as पलवी on the second page but the actual name of the village is पलवई which is also given in the lease sanction letter & other submitted documents also ' प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स विकास इन्फ्राटेक एवं ग्राम का नाम पलवई के लिये आवेदन किया है। कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक मंजूरी दिनांक 26.12.2023 में भी परियोजना प्रस्तावक का नाम विकास इन्फ्राटेक एवं ग्राम का नाम पलवई का उल्लेख है। प्रकरण में SEAC के 746वी बैठक दिनांक 01.05.2024 के कार्यवाही विवरण में भी परियोजना प्रस्तावक का नाम विकास इन्फ्राटेक एवं ग्राम का नाम पलवई ही अंकित है, किन्तु SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम विकास इन्फ्रा एवं ग्राम का नाम पलवी अंकित हो गया है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना प्रस्तावक का नाम विकास इन्फ्राटेक एवं ग्राम का नाम पलवई के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से भी परियोजना प्रस्तावक का नाम विकास इन्फ्राटेक एवं ग्राम का नाम पलवई की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक का नाम विकास इन्फ्रा के स्थान पर विकास इन्फ्राटेक एवं ग्राम का नाम पलवी के स्थान पर ग्राम पलवई सुधारा जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

10. प्रकरण क्र. 8275/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री रामकिशोर प्रजापति आत्मज श्री नत्थूराम, निवासी- 230, भगत की कोठी कृष्णा मन्दिर गली, जोधपुर (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1980 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1640/1 ग्राम छठीबम्हौरी तहसील चन्दला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 10 पर प्रकरण क्रमांक 8275/2021 को भी विचारण में लिये


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नासर्गण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 8275/2021 विचारण में लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24.06.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि "SEIAA द्वारा EC में 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है अतः यह पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02.05.2027 तक वैध मान्य रहेगी जबकि चलनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म. प्र. का आदेश क्रमांक 8819-28 दिनांक 03.05.2017 के अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टा की अवधि 30 वर्ष है" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर यह भी पाया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भी लीज की अवधि 30 वर्ष की बताई गई थी। कार्यालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. ने भी अपने आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 8819-28 दिनांक 03.05.2017 में भी खनिपट्टा हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिये सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। इससे स्पष्ट है कि लीज की अवधि 30 वर्ष है। SEIAA की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में उल्लेख है कि "संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 8819-28 दिनांक 03.05.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 02.05.2027 तक वैध मान्य रहेगी" पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.06.2024 में भी उल्लेख है कि "संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 8819-28 दिनांक 03.05.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 02.05.2027 तक वैध मान्य रहेगी "

चूंकि कार्यालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में कार्यालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 8819-28 दिनांक 03.05.2017 द्वारा खनिपट्टा हेतु 30 वर्ष के लिये सैद्धान्तिक सहमति दी गई है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भी 30 वर्ष के लिये किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि SEIAA में कार्यालय स्तर पर लिपिकीय त्रुटि हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जावे एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार लीज की अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

11. प्रकरण क्र 10917/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सिंह, मेसर्स महामाया स्टोन, एल.एल.पी. निवासी- सर्कल पिपराही मौजा नकवार पंचाहा हनुमाना, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38,190 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.424 हेक्टेयर, खसरा 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2 ग्राम बिरदी, तहसील हनुमाना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 11 पर प्रकरण क्रमांक 10917/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 10917/2023 विचारण में लिया गया।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा SEIAA की 834वी बैठक दिनांक 28.02.2024 के पालन में SEIAA ने अपने पत्र क्रमांक 3271/SEIAA/2024 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा ToR जारी किया जा चुका है। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सिंह मेसर्स महामाया स्टोन एलएलपी निवासी- सर्कल पिपराई मौजा नकरवार, पंचायत हनुमना जिला रीवा (म.प्र) के द्वारा दिनांक 19.06.2024 को सदस्य सचिव SEIAA को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि " SEIAA की 834वी बैठक में ToR स्वीकृति दी गई किन्तु त्रुटिवश खसरा नम्बर 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2 तक ही डाला गया और 305/6 को छोड़ दिया गया" प्राधिकरण द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सिंह मेसर्स महामाया स्टोन एलएलपी निवासी- सर्कल पिपराई मौजा नकरवार, पंचायत हनुमना जिला रीवा (म.प्र) ने आवेदन सिर्फ खसरा नम्बर 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2 के लिये ही किया गया था। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में खसरा क्रमांक 305/6 के लिये आवेदन नहीं दिया था अर्थात् खसरा क्रमांक 305/6 का उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं है इसीकारण SEAC की बैठक 717वी दिनांक 24.01.2024 में भी खसरा क्रमांक 305/6 का उल्लेख नहीं है एवं SEIAA की 834वी बैठक दिनांक 28.02.2024 में भी खसरा क्रमांक 305/6 का उल्लेख नहीं है। निष्कर्ष यह कि आवेदक ने खसरा क्रमांक 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2 के लिये आवेदन दिया था जिसमें सभी खसरों के लिये ToR जारी कर दिया गया है। SEIAA स्तर पर किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं हुई है। यदि आवेदक जिन खसरा नम्बर के लिये उनके द्वारा आवेदन दिया गया है उसके अलावा भी अन्य खसरा नम्बर को EC में शामिल करवाना चाहता है तो उसके लिये उसे पृथक से फार्म-13 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था। आवेदक द्वारा श्री आलोक सिंह मेसर्स महामाया स्टोन एलएलपी निवासी- सर्कल पिपराई मौजा नकरवार, पंचायत हनुमना जिला रीवा (म.प्र) दिनांक 19.06.2024 को असत्य आवेदन पत्र दिया है कि SEIAA एवं SEAC के द्वारा खसरा नम्बर 305/6 को छोड़ दिया गया है। चूंकि इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं हुई है इसलिये इस प्रकरण को लिपिकीय त्रुटि सुधारने के लिये सदस्य सचिव, SEIAA द्वारा एजेण्डे के लिये भी प्रस्तावित नहीं करना था, भविष्य में ध्यान रखा जावे एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि SEIAA द्वारा ToR जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। जिन खसरा नम्बरों का उल्लेख ऑनलाईन आवेदन में किया गया था उन्हीं खसरा नम्बर के लिये ToR जारी किया गया है। खसरा नम्बर 305/6 का उल्लेख ऑनलाईन आवेदन पत्र में नहीं है इसलिये उस खसरे के लिये ToR जारी नहीं किया गया।

12. प्रकरण क्र. P2/72/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री कुलदीप दुबे आत्मज श्री बी.एस. दुबे निवासी- डी. एच.-59, शुभम लॉज के पास, सुभाष कॉलोनी, जिला गुना (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.650 हेक्टेयर, खसरा 947/1, 948, ग्राम जखौदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 12 पर प्रकरण क्रमांक पी-2/72/2024 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक पी-2/72/2024 विचारण में लिया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 845वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में ToR प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 13.05.2024 को ToR जारी किया गया। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री कुलदीप दुबे द्वारा दिनांक 19.06.2024 को ई-मेल प्रस्तुत किया गया कि 'ToR पत्र में खसरा नम्बर 948 ही डाला गया है और खसरा नम्बर 947/1 छोड़ दिया गया है, उक्त रकबा 1.650 हे. दोनो खसरों को मिलाकर ही पूरा हो रहा है जिसका उल्लेख सैद्धान्तिक आदेश, माईनिंग प्लान, ऑनलाईन आवेदन फार्म में भी उल्लेखित है' प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 947/1, 948 के लिये आवेदन किया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक मंजूरी दिनांक 18.08.2023 में भी खसरा क्रमांक 947/1, 948 का उल्लेख है। आवेदन के साथ खसरा पंचशाला भी खसरा क्रमांक 947/1, 948 के संलग्न है। प्रकरण में SEAC के 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 के कार्यवाही विवरण में भी खसरा क्रमांक 947/1, 948 ही अंकित है, किन्तु SEIAA की 845वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में खसरा क्रमांक 948 ही अंकित है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 947/1, 948 के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से भी खसरा क्रमांक 947/1, 948 की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खसरा क्रमांक 948 के साथ खसरा क्रमांक 947/1, 948 जोड़ा जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

13. प्रकरण क्र. 10984/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम क्रेशर स्टोन, पार्टनर, श्री वेद प्रकाश शर्मा आत्मज श्री जी. एल. शर्मा, निवासी गौतम बिहार कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 30,500 व मुरुम 2,550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3, ग्राम बामौर, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 13 पर प्रकरण क्रमांक 10984/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के कारण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 10984/2023 विचारण में लिया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024 में ToR प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 06.05.2024 को ToR जारी किया गया। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री वेदप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 18.06.2024 को ई-मेल प्रस्तुत किया गया कि 'ToR letter the name of the company is wrongly mentioned which is addressed in the attached application. Hence it is requested to kindly consider the same and issue the correction in ToR letter for the further procedure of our project' प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ओम क्रेशर

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

स्टोन के लिये आवेदन किया है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक मंजूरी दिनांक 27.07.2016 में भी परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ओम क्रेशर स्टोन का उल्लेख है। प्रकरण में SEAC के 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 के कार्यवाही विवरण में भी परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ओम क्रेशर स्टोन ही अंकित है, किन्तु SEIAA की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ओम स्टोन क्रेशर अंकित हो गया है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स ओम क्रेशर स्टोन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ओम क्रेशर स्टोन की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स ओम स्टोन क्रेशर के स्थान पर मेसर्स ओम क्रेशर स्टोन सुधारा जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

14. प्रकरण क्र.11175/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय राय, निवासी- होटल उत्सव विला सरदार वल्लभ भाई पटेल बृज, हृदयनगर दमोह जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा बाक्सार्ट एवं लेट्राईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बाक्सार्ट 58,970 टन प्रतिवर्ष, लेट्राईट टन प्रतिवर्ष, 52,836, एवं ओ.बी 4,718 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 64/1 रकबा 9.049 हेक्टेयर, ग्राम बरुई, तहसील मझिगवाँ, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 14 पर प्रकरण क्रमांक 11175/2024 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "c" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 11175/2024 विचारण में लिया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में ToR प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 27.05.2024 को ToR जारी किया गया। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री संजय राय द्वारा दिनांक 18.06.2024 को ई-मेल प्रस्तुत किया गया कि "Baruyee Bauxite quarry at district satna and in the ToR letter there were some typographical errors for which we are requesting corrections" प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाक्सार्ट 58970 टन प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 टन प्रतिवर्ष एवं ओ.बी. 4718 घनमीटर प्रतिवर्ष तथा ग्राम बरुई के लिये आवेदन किया है। भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक 22.12.2023 में भी बाक्सार्ट 58970 टन प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 टन प्रतिवर्ष एवं ग्राम बरुई का उल्लेख है, किन्तु SEIAA की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में बाक्सार्ट 58970 घनमीटर प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ग्राम बरुई अंकित हो गया है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाक्सार्ट 58970 टन प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 टन प्रतिवर्ष एवं ग्राम बरुई के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से बाक्सार्ट 58970 टन प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 टन प्रतिवर्ष एवं ग्राम बरुई की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाक्सार्ट 58970 घनमीटर प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 घनमीटर प्रतिवर्ष स्थान पर बाक्सार्ट 58970 टन प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 टन प्रतिवर्ष


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

एवं ग्राम बरुआ के स्थान पर बरुई सुधारा जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

15. प्रकरण क्र. P2/627/24 परियोजना प्रस्तावक, श्री सागरमल शर्मा निवास नयागांव, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर-10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर खसरा 407 ग्राम बमानबड़ी तहसील व जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 15 पर प्रकरण क्रमांक पी-2/627/2024 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक पी-2/627/2024 विचारण में लिया गया।


प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में EC प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 23.06.2024 को EC जारी की गई। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री सागरमल शर्मा द्वारा दिनांक 31.07.2024 को ई-मेल प्रस्तुत किया गया कि "the village name for the project site is incorrectly mentioned as Bamanbardi and we thus request you to kindly modify it with the correct name, i.e. Chainpura." प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम का नाम चैनपुरा के लिये आवेदन किया है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक मंजूरी दिनांक 17.01.2024 में भी ग्राम का नाम चैनपुरा का उल्लेख है। प्रकरण में SEAC के 751वी बैठक दिनांक 15.05.2024 के कार्यवाही विवरण की टेबल में भी ग्राम का नाम चैनपुरा ही अंकित है, किन्तु SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में ग्राम का नाम बमानबड़ी अंकित हो गया है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम का नाम चैनपुरा के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से ग्राम का नाम चैनपुरा की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम का नाम बमानबड़ी के स्थान पर चैनपुरा सुधारा जावे। कार्यालय द्वारा की गई त्रुटि के लिये जिम्मेदारी तय की जावे।

16. प्रकरण क्र. 10079/2023 - परियोजना प्रस्तावक श्री सोम गर्ग निवासी - 213, क्लार्क कालोनी, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 66,229 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 131/1/1/2, ग्राम देपालपुर, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 16 पर प्रकरण क्रमांक 10079/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 10079/2023 विचारण में लिया गया।


प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 835वी बैठक दिनांक 29.02.2024 में ToR प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर दिनांक 15.03.2024 को ToR जारी की गई। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक श्री सोम गर्ग द्वारा दिनांक 23.08.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि "Due to some topographical error the village name is mentioned in ToR letter as Depalpur which is village rangwasa and also project name is Shree SOM Garg which is project name M/s SOM Project Pvt.Ltd. also mine plan, Aadesh letter, ekal and online application for ToR mentioned village name Rangwasa & project name M/s SOM Project Pvt.Ltd." प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि., एवं ग्राम देपालपुर के लिये आवेदन किया है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक मंजूरी दिनांक 17.11.2017 में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि. एवं ग्राम रंगवासा का उल्लेख है, किन्तु SEIAA की 835वी बैठक दिनांक 29.02.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री सोम गर्ग एवं ग्राम का नाम देपालपुर अंकित हो गया है। चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि., के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज से मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि., की ही पुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सोम गर्ग के स्थान पर मेसर्स सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि., सुधारा जावे।

चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन ग्राम देपालपुर के लिये किया गया है एवं SEIAA द्वारा भी ToR ग्राम देपालपुर का ही जारी किया गया। इस प्रकरण में ग्राम के नाम की कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं हुई है। यदि आवेदक ग्राम के नाम में सुधार करवाना चाहता है तो उसके लिये उसे पृथक से निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।


17. प्रकरण क्र. P2/593/24 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स. गायत्री ब्रिक इंडस्ट्रिज, प्रो. श्री सतीश बंसल निवासी- अग्रवाल कालोनी, शिवपुरी रोड, वार्ड-007, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर-4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर खसरा 57/1, 57/2, 58/1, 58/3/1/1, 58/3/1/2, 58/3/4/1, 58/3/4/2 ग्राम ग्वाड़ी तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 17 पर प्रकरण क्रमांक पी-2/593/2024 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव "7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक पी-2/593/2024 विचारण में लिया गया।

SEIAA द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके उपरांत पाया गया कि SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में बी-1 श्रेणी की मानक शर्तें (परिशिष्ट-2) एवं विशिष्ट शर्तें क्रमांक IV, V, VI सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया, जबकि प्रकरण बी-2


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसमें SEIAA की मानक शर्तें (परिशिष्ट-1) अधिरोपित की जाती हैं। उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की गई।

प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बी-2 श्रेणी में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन किया है एवं प्रकरण में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 2076 दिनांक 02/02/2024 के बिन्दु क्र.6 अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खनिज पट्टा स्वीकृत नहीं है जिसके अनुसार भी प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत ही आता है एवं SEAC की 750वी बैठक दिनांक 14.05.2024 के कार्यवाही विवरण में भी प्रकरण को बी-2 श्रेणी में ही अनुशंसित किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA की 856-ए वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में प्रकरण में बी-1 श्रेणी हेतु निर्धारित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) के स्थान पर परिशिष्ट-1 सुधारा जावे एवं विशिष्ट शर्तें IV, V, VI को विलोपित करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जावे।

18. प्रकरण क्र. 10752/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप राय आत्मज श्री सुरेन्द्र राय, निवासी- बिछिया, तहसील शाहपुरा, जिला डिंडोरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 62/5, 62/6, 65 ग्राम भरद्वारा, तहसील शाहपुरा, जिला डिंडोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 18 पर प्रकरण क्रमांक 10752/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के कारण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 10752/2023 विचारण में लिया गया।

SEIAA द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। SEIAA द्वारा नस्ती क्रमांक 10752 के पृष्ठ क्रमांक 7 एवं 8 का भी अवलोकन किया। उक्त पृष्ठ पर प्रोजेक्ट फ़ैलो द्वारा टीप दी गई कि "प्रकरण क्रमांक 10752/2023 को SEIAA समिति 859वी दिनांक 05.06.2024 को प्रस्तुत किया गया एवं इसमें CER व Plantation एवं EMP की जानकारी न होने के बाद भी इसमें EC दी गई है, अतः इस प्रकरण के निवारण के लिये एवं शेष जानकारी प्राप्त करने के लिये दूरभाष पर SEAC से सम्पर्क किया गया परंतु जानकारी प्राप्त न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः EC न होने के कारण सदस्य सचिव को सूचित किया जा रहा है। नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 7 में माननीय अध्यक्ष महोदय से निर्देश प्राप्त अनुसार प्रकरण को SEIAA की बैठक 859वी दिनांक 05.06.2024 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाना निर्णित किया गया है किन्तु SEAC द्वारा प्रकरण को 753वी बैठक दिनांक 18.05.2024 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाने की अनुशंसा की गई है परंतु कार्यवाही विवरण में EMP, CER एवं Plantation की जानकारी अंकित नहीं की गई है, अतः उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।" उक्त टीप के आधार पर सदस्य सचिव SEIAA ने लिपिकीय त्रुटि ठीक करने के लिये प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिसे SEIAA ने अपनी आज की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 को विचारण में लिया। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। कार्यालय द्वारा भ्रमित करने वाली टीप प्रस्तुत की गई है कि इसमें लिपिकीय त्रुटि है। भविष्य में प्रकरण का पूर्ण अवलोकन एवं परीक्षण करने के बाद ही टीप अंकित

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

की जावे। SEIAA ने यह भी पाया कि नस्ती क्रमांक 10752 के पृष्ठ क्रमांक 7 पर EMP की जानकारी नहीं होने का उल्लेख है। जबकि ऑनलाईन अवलोकन करने पर EMP प्रकरण में पाया गया किन्तु वह अपूर्ण है। SEIAA ने अपनी 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 को प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया था किन्तु प्रकरण में CER एवं Plantation की जानकारी उपलब्ध नहीं होने तथा उपयुक्त विवरण के आधार पर पुर्नविचार किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण SEAC को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि SEAC CER एवं Plantation के बिन्दु सहित प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन करके परीक्षण के बाद स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करें। SEAC से यह भी अनुरोध है कि पौधरोपण के संबंध में अभिमत देने के पूर्व भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के OM दिनांक 24.07.2024 एवं CER के संबंध में OM दिनांक 01.05.2018, 30.09.2020 एवं 25.02.2021 को भी दृष्टिगत रखे।

SEIAA ने यह भी निर्णय लिया कि SEIAA कार्यालय द्वारा SEIAA की बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी प्रस्तुत की जावे। प्रोजेक्ट फ़ैलो एवं प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर नियम व प्रावधान के तहत स्वस्पष्ट टीप दी जावे। सदस्य सचिव द्वारा भी कार्यालयीन टीप का परीक्षण कर लिया जावे, उसके बाद ही प्रकरण की संक्षेपिका SEIAA की बैठक में प्रस्तुत की जावे। प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 के बाद SEIAA के निर्णय की समीक्षा कार्यालय द्वारा की गई जबकि जो तथ्य कार्यालय द्वारा बैठक के निर्णय के बाद संज्ञान में लाये गये वह सभी तथ्य बैठक के दौरान ही संज्ञान में लाना था। उक्त तथ्य SEIAA की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में संज्ञान में नहीं लाने के लिये संबंधित प्रोजेक्ट फ़ैलो एवं प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

19. प्रकरण क्र. 9952/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्टोन वर्क्स माइनिंग, पार्टनर, श्री विवके दुबें निवासी राम मनोहर लोहिया वार्ड, नदीपुर, पाली थ्रेसर के सामने, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,00,385 टन प्रतिवर्ष एवं रकबा 2.80 हे०, खसरा क्रमांक 297, ग्राम मल्हान, तहसील, बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल क्रमांक 19 पर प्रकरण क्रमांक 9952/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण क्रमांक 9952/2023 विचारण में लिया गया।

SEIAA द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके उपरांत पाया गया कि SEIAA की 863-ए बैठक दिनांक 10.06.2024 में उक्त प्रकरण में बी-2 श्रेणी की मानक शर्तें (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया, जबकि प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसमें SEIAA की मानक शर्तें (परिशिष्ट-2) एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट की विशिष्ट 3 अन्य शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की गई।

प्राधिकरण के अधिकार के अन्तर्गत पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय के अनुसार प्रकरण क्र. 18 में निर्णय के लिए प्रस्तावित किया जावे।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक में ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर बी-1 श्रेणी के लिये ही आवेदन किया गया एवं ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्रानुसार भी प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत ही आता है एवं SEAC समिति द्वारा भी 748वी बैठक दिनांक 03.05.2024 के कार्यवाही विवरण में भी प्रकरण को बी-1 श्रेणी में ही अनुशंसित किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA द्वारा प्रकरण में 863-ए बैठक दिनांक 10.06.2024 में अधिरोपित मानक शर्तें (परिशिष्ट-1) के स्थान पर परिशिष्ट-2 सुधारा जावे एवं बी-1 श्रेणी की कलस्टर मैनेजमेन्ट की 03 अन्य विशिष्ट शर्तें को भी जोड़ते हुए पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी किया जावे।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष




Dissenting decision of Member Secretary

I have shown my disagreement with the decision taken on case no 10752/2023 S.No. 18. The basis of my disagreement.

“उक्त प्रकरण में माननीय विधायक श्री प्रणय प्रभात पाण्डे बहोरीबंद द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध उनके एकल प्रमाण पत्र में 500 मीटर की परिधि में क्लस्टर की खदानों की असत्य जानकारी दिये जाने एवं अवैध उत्खनन किये जाने की शिकायत पत्र दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से की गई एवं परियोजना प्रस्तावक तथा माननीय विधायक उक्त प्रकरण में दिनांक 05.06.2024 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। प्रकरण को क्लस्टर में होने एवं अवैध उत्खनन की वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराया गया, जिसके उपरांत प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 05.06.2024 में निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण में कलेक्टर डिण्डौरी से क्लस्टर में सम्मिलित खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होने की वास्तविक स्थिति की जानकारी पत्र के माध्यम से प्राप्त की जाये, जिसका उल्लेख प्रकरण की नस्ती पर प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुमोदन सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा किया गया।

चूँकि प्रकरण को बी-1 अथवा बी-2 श्रेणी में निर्णित किया जाये इस मुद्दे पर ही चर्चा होती रही। इसके उपरांत प्रकरण में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में SEAC की अनुशंसा अनुसार बी-2 श्रेणी में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान चूँकि प्रकरण में SEAC द्वारा उनके कार्यवाही विवरण में CER एवं Plantation की जानकारी का समावेश नहीं किया गया था के संबंध में भी अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण प्राधिकरण के कार्यकाल समाप्ति दिनांक 10.06.2024 के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा अंतिम स्वरूप में हस्ताक्षर किये जाने के पर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया।

चूँकि प्रकरण में उपरोक्तानुसार तथ्यों के दृष्टिगत प्रभारी अधिकारी एवं संबंधित स्टाफ द्वारा उक्त बैठक दिनांक 05.06.2024 में सदस्य सचिव के माध्यम से प्राधिकरण को पूर्णतः तथ्यों से अवगत कराया गया। अतः प्रभारी अधिकारी एवं अन्य किसी स्टाफ के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाना है।


(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

इस तरह प्रकरण क्र. 10752/2023 में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण इस संबंध में EIA Notification Dated 1-12-2009 SO 3067 (E) के अनुसार मिनट्स की प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाये।